भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 96

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

विशेष अभियान 3.0

***96. श्री जनार्दन मिश्रा:**
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष अभियान 3.0, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों को कम करना और स्वच्छता में सुधार करना है, के दौरान क्या विशिष्ट परिणाम प्राप्त हुए और कितनी जन शिकायतों का समाधान किया गया तथा संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद से प्राप्त हुए मामलों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई;
(ख) इस संबंध में हिमाचल प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों, विशेषतः राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में, स्वच्छता अभियान के तहत अपनाई गई अच्छी प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अभियान पर खर्च किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;
(घ) दिवाला और दिवालियापन से संबंधित सुदृढ़ ढांचा स्थापित करने की दिशा में उठाए गए कदमों तथा वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) के लिए दिवाला और परिसमापन संबंधी कार्यवाही को सुकर बनाने के लिए कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियमों के तहत अपराधों को अपराधों की श्रेणी से बाहर करने से मुकदमेबाजी और कारपोरेट प्रशासन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है?

<u>उत्तर</u>

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

02.12.2024 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *96 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): विशेष अभियान 3.0 का आयोजन भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रशासनिक सुधार और शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के समग्र मार्गदर्शन में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से किया गया था।

डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों के अनुसार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रादेशिक कार्यालयों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों के साथ, 30.09.2023 को सभी पहचाने गए लंबित मामलों के निपटान के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक 'विशेष अभियान 3.0' आयोजित किया, जिसमें 01 पीएमओ संदर्भ, 05 वीआईपी संदर्भ, 01 अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) संदर्भ और 374 लोक शिकायतें शामिल थीं। मंत्रालय ने अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान पहचान किए गए सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अभियान के तहत स्वच्छता अभियान के परिणामस्वरूप अनुपयोगी वस्तुओं और गैर-उपयोगी वाहनों का निपटान करके 1135 वर्ग फुट क्षेत्र को मुक्त किया गया। स्क्रैप वस्तुओं के निपटान से 3.58 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

(ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय का हिमाचल प्रदेश में कोई जिला-वार कार्यालय नहीं है। तथापि, हिमाचल प्रदेश के प्रादेशिक कार्यालयों अर्थात् कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक में, कार्यालय परिसर को कर्मचारियों द्वारा साफ किया गया था, पुरानी फाइलों की छंटाई की गई थी, उक्त अवधि के दौरान ई-कचरे का निपटान किया गया था।

(ग): विशेष अभियान के दौरान मंत्रालय और इसके प्रादेशिक/क्षेत्रीय/संबद्ध कार्यालयों में स्वच्छ भारत कार्यालयों को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए विभिन्न कार्यकलाप जैसे दीवारों, स्तंभों की पेंटिंग, कार्यालय परिसरों में कीट नियंत्रण, गमलों और छोटे पौधों के माध्यम से हरा-भरा, रिकॉर्ड रूम की सफाई, स्क्रैप का निपटान, पुरानी भौतिक फाइलों की समीक्षा और छंटाई आदि किए गए। इसी प्रकार के कार्यकलाप हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय और शासकीय समापक कार्यालय में की गई थीं।

चूंकि अभियान के दौरान किए गए कार्यकलापों को प्रशासनिक अनुदान के भीतर बजट दिया जा सकता है, इसलिए विशेष अभियान 3.0 के लिए अलग से बजट प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी।

(घ): दिवाला समाधान की प्रक्रिया को मजबूत करने और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने आईबीसी में छह संशोधन किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), नियामक, ने आईबीसी की स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक संशोधन किए हैं।

(ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अपराधों को धीरे-धीरे अपराध की श्रेणी से बाहर करने से मुकदमेबाजी का भार कम हुआ है, व्यवसाय में सुगमता बढ़ी है और बेहतर कारपोरेट गवर्नेंस में योगदान मिला है। यह सुनिश्चित करते हुए कि गंभीर उल्लंघनों से सख्ती से निपटा जाए, अनुपालन को बढ़ावा देते हुए यह एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

*****